

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: एफ.3(1)साप्र/2/2011

जयपुर, दिनांक

--: आदेश :-

5 MAY 2011

निम्नांकित अधिकारियों को उनकी तृतीय श्रेणी परियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित किये जाते हैं :-

क.सं.	वरियता सं.	नाम व पद	आवंटित संख्या	आवास	सेवानिवृति दिनांक
1.	9/09	श्री अशोक कुमार शर्मा स्टेनो, उप मुख्य वन जीव प्रतिपालक चिडियाघर, जयपुर	III/104	गांधीनगर (III/72 के स्थान पर)	30.9.2026
2.	10/09	श्रीमती अचम्मा आईप स्टॉफ नर्स ग्रेड-1, राजकीय चिकित्सालय गणगौरी बाजार जयपुर	III/48	गांधीनगर	31.5.2021
3.	12/09	श्री उम्मेद सिंह प्राध्यापक, राजकीय पोददार उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर	III/46	गांधीनगर	30.6.2034
4.	21/09	सुश्री निर्मला कुमारी नर्स श्रेणी प्रथम, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	III/106	गांधीनगर	30.4.2021
5.	28/09	श्रीमती परेश गंधान, अध्यापिका, ग्रेड द्वितीय, शिक्षा विभाग, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालवीयनगर, जयपुर।	III/110	एवीएस गांधीनगर	30.4.2024
6.	32/09	श्रीमती स्नहेलता नर्स ग्रेड द्वितीय महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर	III/91	गांधीनगर	30.9.2016
7.	34/09	श्री शम्भु सिंह नाथावत भूमापक (सर्वेयर) कार्यालय भूप्रबन्ध आयुक्त, जयपुर।	III/67	गांधीनगर	31.7.2016
8.	35/09	श्रीमती अलका सिरोही जिला परियोजना एवं समाज कल्याण अधिकारी, कार्यालय अतिरिक्त निदेशक प्रशासन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।	III/69	गांधीनगर	30.11.2030
9.	101/09	श्री रामचरण मीणा जिला रसद अधिकारी (सतर्कता), खाद्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	15/51	मालवीयनगर	30.4.2037
10.	111/2010	डॉ. संजीव कुमार गुप्ता चिकित्सा अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक, मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर।	ए-14	जवाहरनगर	30.11.2033
11.	14/2011	डॉ0 बबीता चावला मेडिकल ऑफिसर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-1, सेठी कोलानी जयपुर	ए-63	जवाहरनगर (ए-105 जवाहरनगर के स्थान पर)	31.1.2034
12.	19/2011	श्री बाबूलाल राज पुरोहित मेल नर्स ग्रेड-द्वितीय राजकीय चिकित्सालय गणगौरी बाजार जयपुर	15/24	मालवीयनगर	31.7.2025
13.	31/2011	डॉ. पुष्पेन्द्र बुडानिया सी.ए.एस.पी.जी. सर्जरी, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	ए-65	जवाहरनगर	31.1.2041

14.	33/2011	श्री कमलेश कुमार शर्मा वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देहमी कला सांगानेर, जयपुर	15/6 मालवीयनगर	31.3.2031
15.	37/2011	श्री कैलाश बिहारी माथुर कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (पौध व्याधि) दुर्गापुरा, जयपुर।	15/47 मालवीयनगर	31.8.2015
16.	38/2011	श्री यशवंत कुमार वया लेखाकार, कार्यालय उप वन संरक्षक, वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर	ए-66 जवाहरनगर	31.7.2015
17.	40/2011	श्री हंसराज मीणा आर.ए.एस. उपस्थापक अधिकारी, विभागीय जांच, शासन सचिवालय, जयपुर।	ए-152 जवाहरनगर	30.6.2016

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3.2.2011 के द्वारा सुश्री निर्मला कुमारी, नर्स ग्रेड-I, सवाई मानसिंह चिकित्सालय को उनकी तृतीय श्रेणी की वरियता संख्या 21/09 के आधार पर आवंटित राजकीय आवास संख्या III/19 गांधीनगर रिक्त उपलब्ध नहीं होने के कारण आवंटन आदेश एतद्वारा वापिस लिया जाता है।

शर्त:-

1. आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास आवंटन की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटि के द्वारा आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटि अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावे।
8. आवंटि को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी :-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटि निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटि के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्यों के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. कम संख्या -5 पर अंकित श्रीमती परेश मंधान से कॉमन सुविधा राशि रुपये 225/- (अक्षरे रुपये दो सौ पच्चिस मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होंगी।

आज्ञा से




(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
7. प्रभारी अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय गणगौरी बाजार, जयपुर।
8. प्रधानाचार्य, राजकीय पौद्दार उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर।

9. नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
10. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
11. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालवीयनगर, जयपुर।
12. अधीक्षक, महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट, जयपुर।
13. आयुक्त, भूप्रबन्ध विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. अतिरिक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
15. उपायुक्त, खाद्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. अधीक्षक, मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर।
17. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-1, सेठी कॉलोनी, जयपुर।
18. प्राचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दहमीकला सांगानेर, जयपुर।
19. संयुक्त निदेशक, कृषि (पौध ब्याधि) दुर्गापुरा, जयपुर।
20. उप वन संरक्षक वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जे.एल.एन. रोड, जयपुर।
21. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-4) विभाग।
22. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावें।
23. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि०वि०निगम लि० गॉंधीनगर/जवाहरनगर/मालवीयनगर, जयपुर।
24. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गॉंधीनगर जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें तथा आवंटन आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
25. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
26. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
27. संबंधित अधिकारीगण।
28. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (गुप-5) विभाग।
29. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
30. निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (गुप-2) विभाग।
31. रक्षित पत्रावली।


 शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (गुप-2) विभाग

क्रमांक: एफ.3(1)साप्र/2/2011

जयपुर, दिनांक

15 MAY 2011

-: आदेश :-

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3.2.2011, 25.2.2011, 15.3.2011 तथा 4.4.2011 के द्वारा निम्नांकित अधिकारियों को उनकी तृतीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित आवंटित किये गये राजकीय आवासों का कब्जा नहीं लेने के कारण आवंटन आदेश एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं:-

क्र.सं.	वरियता सं.	नाम व पद	आवंटित संख्या	आवास	सेवानिवृति दिनांक
1.	158/08	श्री अब्दुल हलीम अन्सारी अनुभागाधिकारी, चिकित्सा एवं शिक्षा (गुप-1) शासन सचिवालय, जयपुर (III/19 गांधीनगर)	III/106 भूतल गांधीनगर		31.7.2015
2.	19/09	श्री प्रहलाद कुमार शर्मा निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव, खनिज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	III/48 प्रथम तल गांधीनगर		31.1.2021
3.	2/2011	श्री सुरेन्द्र कुमार बिसारिया सहायक अभियन्ता (विधुत) आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण पुरानी विधान सभा, हवामहल जयपुर।	15/72 तृतीय तल मालवीयनगर		30.11.2033
4.	57/06	श्री गुलाब चन्द माली मेल. नर्स-प्रथम, निदेशालय भ्रमण शील शल्य चिकित्सा इकाई जयपुर	III/104 भूतल गांधीनगर		31.7.2018
5.	26/09	श्री नरोत्तम लाल वर्मा उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।	III/110 एवीएस गांधीनगर		31.7.2034
6.	40/2010	श्री देवी सिंह रेवाड लेखाकार, कार्यालय शासन उप सचिव आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।	15/51 प्रथम तल मालवीयनगर		31.7.2019
7.	145/2010	श्री अनिल कुमार गुप्ता मेल नर्स-II, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	15/24 प्रथम तल मालवीयनगर		31.3.2027
8.	156/2010	डॉ० अंजू शर्मा चिकित्सा अधिकारी, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।	15/48 प्रथम तल मालवीयनगर		30.9.2029
9.	144/2010	डॉ० अनिल कुमार सैनी मेडिकल ऑफिसर सी.ए.एस.पी.जी. मेडिसन, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।	ए-63 द्वितीय तल जवाहरनगर		28.2.2039
10.	157/2010	श्री रमेश चन्द्र शर्मा वरिष्ठ अध्यापक, शिक्षा (राजकीय पोदार उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांधीनगर), जयपुर	ए-14 तृतीय तल जवाहरनगर		31.12.2029
11.	5/2011	श्री राजेश कुमार भील सहायक पुलिस आयुक्त, सांगानेर, जयपुर।	ए-65 तृतीय तल जवाहरनगर		31.10.2034
12.	33/2007	श्री अजय कुमार शर्मा सहायक देखाधिकारी, कार्यालय मुख्य निरीक्षक, फैक्ट्री एवं बायलर्स, निवासी एफ-408, गांधीनगर, जयपुर	III/91 भूतल गांधीनगर		30.9.2016

13.	133/07	श्री शशि भान निजी सचिव, महानिदेशक नागरिक सुरक्षा एवं समादेशक गृह रक्षा, जयपुर।	III/69 द्वितीय तल गांधीनगर	31.1.2021
14.	126/08	श्री श्याम सुन्दर व्यास मुख्य विधि सहायक विधि विभाग, शासन सचिवालय जयपुर	III/67 भूतल गांधीनगर	30.4.2025
15.	20/2011	श्री राजेन्द्र कुमार गोयल मुख्य विधि सहायक सीएडी एवं जल उपयोगिता विभाग शासन सचिवालय जयपुर	15/6 द्वितीय तल मालवीयनगर	30.6.2024
16.	21/2011	श्री विशम्भर दयाल बैरवा सांख्यिकी सहायक, कार्यालय जिला कलेक्टर, जयपुर	15/47 तृतीय तल मालवीयनगर	30.9.2027
17.	17/2011	डॉ० पंकज गोयल मेडिकल ऑफिसर, सी.ए.एस.पी.जी. (ई.एन.टी) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	ए-66 तृतीय तल जवाहरनगर	31.7.2037
18.	24/2011	डॉ० चन्दन कल्ला ग्रामीण मेडिकल अधिकारी, नेत्र विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	ए-152 तृतीय तल जवाहरनगर	31.8.2036
19.	6/2011	डॉ० चैन सिंह मेडिकल ऑफिसर, फोरेन्सिक मेडिसिन, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	15/13 द्वितीय तल मालवीयनगर	30.11.2030

आज्ञा से




(मनफूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
6. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-4/2) विभाग, जयपुर।
7. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-2) विभाग, जयपुर।
8. सहायक अभियन्ता, विद्युत (आमेर विकास प्रबन्धन प्राधिकरण पुरानी विधानसभा हवामहल) जयपुर।
9. निदेशक, भ्रमण शिल शल्य चिकित्सा ईकाई, जयपुर।
10. निदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
11. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
13. नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
14. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
15. प्रधानाचार्य, राजकीय पौद्दार उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांधीनगर, जयपुर।
16. पुलिस अधीक्षक, जयपुर शहर पूर्व, जयपुर।
17. मुख्य निरीक्षक एवं बायलर्स, झालाना डूंगरी, जयपुर।
18. महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा एवं महासमादेशक, जयपुर।
19. शासन उप सचिव, विधि विभाग, जयपुर।
20. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित कंसयै साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावे।
21. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि०वि०निगम लि० गाँधीनगर/जवाहरनगर/मालवीयनगर, जयपुर।
22. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गाँधीनगर जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड में चस्था करावे।

23. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
24. श्री राजेश कुमा भील, सहायक पुलिस आयुक्त, सांगानेर पूर्व, जयपुर को भेजकर लेख है कि आवंटन आदेश निरस्त होने की तिथि से नियम 11(III) ए के तहत छः माह पश्चात् गांधीनगर, जयपुर हेतु विचारणीय होगा।
25. श्री विशम्भर दयाल बैरवा, सांख्यिकी सहायक कार्यालय जिला कलेक्टर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आवंटन आदेश निरस्त होने की तिथि से नियम 11(III) ए के तहत छः माह पश्चात् गांधीनगर, जयपुर हेतु विचारणीय होगा।
26. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
27. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (गुप-5) विभाग।
28. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
29. निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (गुप-2) विभाग।
30. रक्षित पत्रावली।


शासन सहायक सचिव